

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003312016

दांडिक प्रकरण क.-374 / 16

संस्थापित दिनांक-20.09.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-सालिगराम पुत्र जयसिंह लोधी उम्र 19 साल निवासी ग्राम बांकलपुर। <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री पठान अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 03.08.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354ए(1)3, 323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354क के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी मनीषा लोधी ने दिनांक 27.06.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 23.06.15 को उसके गांव के सालिगराम ने कहा था कि तुम मेरी एक शर्त मान लो, तब उसने पूछा कि क्या बात है तो उसने कहा कि तुम हामी भरो तो कहूं फिर उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर दिनांक 27.06.15 को समय 11.30 बजे करीब उसके मोहल्ले के लडके उमेश रजक ने उसके घर आकर उससे व उसकी मां से कहा कि सालिगराम उससे कह रहा था कि एक हजार रुपये ले लो और मनीषा को उसके पास भेजो। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। इतनी बात बताकर उमेश उसके घर से बाहर निकला कि सालिगराम ने उमेश की घिची दबा दी, कहने लगा कि तुमने मनीषा को मेरे पास क्यों नहीं भेजा। सालिगराम फरियादी को बुरी नीयत से छेड़ता है। उमेश के गले में मुंदी चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 213/15 के अंतर्गत भादवि की धारा 354ए(1)3, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354क, 323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.06.15 को समय दिन 11.30 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम बांकलपुर पर फरियादिया मनीषा लोधी जो कि एक स्त्री है, को पैसे देकर अनैतिक संबंध बनाने के लिए मांग की?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मनीषा लोधी, अ.सा. 02 ललिता, अ.सा. 03 उमेश की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 मनीषा ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसका आरोपी से वाद-विवाद हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौच कर दी थी जिस पर से उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उमेश को एक हजार रुपये देकर उसे उसके पास जाने के लिए कहा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 ललिता ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उमेश को एक हजार रुपये देकर उसे मनीषा के पास भेजा था।

09— अ.सा. 03 उमेश ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे एक हजार रुपये देकर बोला था कि मनीषा को दे देना। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह

नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा फरियादिया को पैसे देकर अनैतिक संबंध बनाने की उससे मांग की। अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354क के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

13— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)